

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्र.प. 2(13)III-A/Elec./BFC/14-15/ 1189

जयपुर, दिनांक : 30.3.15

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :- 1 सहायक लेखाधिकारी एवं
आहरण व वितरण अधिकारी
मुख्यालय, जयपुर।
2 समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय :- बजट मद 2015-निर्वाचन, 103, 105, 106 एवं 108- (00)[00], 28-विविध व्यय में बचत वाली मद से आधिक्य वाली मद में राशि उपयोग करने की स्वीकृति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बजट मद 2015- निर्वाचन 00, 103, 105, 106 एवं 108- (00)[00], 28-विविध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014 -15 हेतु पृथक-पृथक मदों में आपको आवंटित राशि में से यदि किसी मद में बचत रही हो/रहना सम्भावित हो तो उक्त बचत राशि का उपयोग आधिक्य वाली मद में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके पश्चात भी बचत राशि शेष रहने की स्थिति में समर्पित कर दी जावे।

बचत राशि का उपयोग, आधिक्य हेतु करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि बचत वाली मद में कोई भी दायित्व लम्बित नहीं है। यह भी ध्यान रखा जावे कि बचत राशि का उपयोग नवीन मद क्रय हेतु नहीं किया जावे।

भवदीय,



(डॉ. रेखा गुप्ता)

विशिष्ट शासन सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर